सं. ई-12012/1/2025-हिंदी/प्रशिक्षण-2/ 112

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
हिंदी अनुभाग

नवीन पुस्तकालय भवन, केंद्रीय जल आयोग,
रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली – 110 066
दिनांक 14 जनवरी, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान संबंधी सूचना के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर कृपया राजभाषा विभाग के दिनांक 05 जून, 2015 के संकल्प का संदर्भ लें जिसमें उल्लेखित है कि केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण, वर्ष 2025 के अंत तक पूरा कर लिया जाना है। इसके उपयोजन हेतु केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के हिन्दी भाषा ज्ञान संबंधी रोस्टर बनाया गया है। परंतु विभिन्न निदेशालयों/ अनुभागों में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों की तैनाती एवं स्थानांतरण में अब काफी परिवर्तन हो चुका है। तदनुसार हिन्दी अनुभाग में उपलब्ध हिन्दी ज्ञान संबंधी रोस्टर का अद्यतन करना अनिवार्य हो गया है।

2. अतः सभी निदेशालयों/स्थापना अनुभागों से अनुरोध है कि संलग्न प्रोफोर्मा (I और II) में प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी की हिंदी ज्ञान से संबंधित अद्यतन सूचना (बीपीएल नंबर सहित) हिंदी अनुभाग को **16 जनवरी, 2025** तक अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

3. प्रोफ़ार्मा भरने के दिशा निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न है। इसी प्रकार सभी समन्वय निदेशालयों से अनुरोध है कि वे कृपया इस संबंध में संलग्न प्रोफार्मानुसार मुख्यालय में स्थित अपने अधीनस्थ निदेशालयों के संबंध में उक्त सूचना निदेशालय-वार तैयार करके भिजवाएं ।

संलग्नक: यथोक्त

आनंद

(आनंद चंद्र मल्लिक)
निदेशक (स्था-III) एवं राजभाषा प्रभारी
दूरभाष: 011-29583459/ई मेल: acmallick@nic.in

सेवा में,

1. सभी मुख्य अभियंता, के.ज.आ., नई दिल्ली।
2. सचिव, के.ज.आ., नई दिल्ली।
3. सभी निदेशक/ शाखा अधिकारी/ लेखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, के.ज.आ.,नई दिल्ली।
4. निदेशक (समन्वय), अभिकल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परियोजना/ नदी प्रबंध स्कंध, के.ज.आ., नई दिल्ली।

<u>प्रतिलिपि</u>:-

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव, नई दिल्ली।
2. सदस्य, अभिकल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परियोजना/ नदी प्रबंध स्कंध के प्रधान निजी सचिव, के.ज.आ., नई दिल्ली।
3. संयुक्त सचिव, के.ज.आ., के प्रधान निजी सचिव।
4. मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) के.ज.आ., के प्रधान निजी सचिव।

प्रोफ़ार्मा भरने के दिशा निर्देश

1. कोई भी कालम खाली न छोड़ा जाए।
2. कृपया अपना कार्यालय संपर्क संख्या/दूरभाष नंबर लिखें ।
3. कालम नंबर 8 (अभ्युक्तियाँ) में प्रत्येक कर्मचारी हिन्दी ज्ञान का स्तर, (जैसे हिन्दी भाषा की का प्रवीणता/ कार्यसाधक ज्ञान/प्रशिक्षण के लिए शेष) के बारे में लिखें। हिन्दी ज्ञान संबंधी परिभाषा निम्नानुसार है:

1. हिन्दी में प्रवीणता - किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है यदि उसने;

(क) मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी को माध्यम के रूप में अपनाकर उत्तीर्ण की है; अथवा

(ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समकक्ष या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को उसने एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था; अथवा

(ग) **यदि वह संलग्न प्रपत्र में घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है।***

2. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान - किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यदि उसने;

(क) मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की है; अथवा

(ख) केन्द्रीय सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट वर्ग के पदों के संबंध में निर्धारित कोई निम्नस्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है; अथवा

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्धारित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

(घ) **यदि वह संलग्न प्रपत्र में घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है***

प्रपत्र-I

हिन्दी में प्रवीणता व कार्यसाधक ज्ञान

नाम	पदनाम	मातृभाषा	शैक्षणिक योग्यता	हिन्दी की शैक्षणिक योग्यता	हिन्दी में *प्रवीणता प्राप्त/ ** कार्यसाधक ज्ञान	टिप्पणी

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि निम्नलिखित के आधार पर मुझे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है/ मैंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

तारीखः

हस्ताक्षर

*प्रवीणता:- प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों से अभिप्राय ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों से है जिन्होंने मैट्रिक या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है या जिन्होंने स्नातक परीक्षा या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो या यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी उपर्युक्त प्रपत्र में यह घोषणा करे कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है तो यह माना जाएगा कि उक्त अधिकारी/कर्मचारी ने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

**कार्यसाधक ज्ञान:- कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों से अभिप्राय ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों से है जिन्होंने मैट्रिक या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो या जिन्होंने हिन्दी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण की हो या यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी उपर्युक्त प्रपत्र में यह घोषणा करें कि उसे हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है तो यह माना जाएगा कि उक्त अधिकारी/कर्मचारी ने हिन्दी कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

प्रपत्र-II

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान संबंधी सूचना

Information in regard to Hindi knowledge of Central Government Employees

कार्यालय का नाम ....

Name of the Office: ....

क्र.सं. Sl.No.	नाम / पदनाम Name / Designation/	जन्म तिथि Date of Birth	मातृभाषा Mother Tongue	हिंदी में उत्तीर्ण उच्चतम परीक्षा Highest Examination passed in Hindi		क्या मैट्रिक स्तर पर हिंदी मुख्य विषय के रूप में थी अथवा हिंदी माध्यम थी Whether Hindi as a main subject at Matric level or Hindi was the medium	क्या मैट्रिक स्तर पर हिंदी प्रथम/ द्वितीय/तृतीय भाषा के रूप में थी Whether Hindi was 1st/ 2nd /3rd Language at Matric level	*अभ्युक्तियाँ Remarks [कार्य साधक/ प्रवीणता प्राप्त/ प्रशिक्षण के लिए शेष]	दूरभाष संख्या बीपीएल
				Highest Examination उच्चतम परीक्षा	(वर्ष) (year)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

* यह लिखा जाए की प्रत्येक कर्मचारी के हिन्दी ज्ञान का स्तर अर्थात कार्यसाधक ज्ञान हिन्दी भाषा प्रवीणता /

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of the competent authority : ....

नाम/Name : ....

पदनाम/Designation : ....

दूरभाष संख्या/Telephone No. : ....